

मूल वाद में डिक्ती
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

बीडासर

पीठासीन अधिकारी

सहू खोरी

उनवान

बनाम

शुभाराम झा

किसानाराम

दावा बाबत

मुकदमा नंबर:-

निर्णय दिनांक:-

वादी की ओर से किसानाराम की व प्रतिवादी की ओर से शुभाराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/5/18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) मनीषा लुधा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्ती दी जाती है कि :-

~~वादी का वाद पत्र जारी के राजीनामा के तहत बीडासर द्वारा प्रदत्त विज्ञापन प्रताक इस प्रकार कालिम डिक्ती जारी किया जाता है कि वादगत 102, 121, 139, 182, 184, 46 कुल पक्का 19.15 हेक्टेयर वाले शेडि गलत इस्तेमाल का तहत बीडासर की जालर द्वारा प्रदत्त विज्ञापन प्रताक राजीनामा के हिसाब~~

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 23/5/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Mannu
E.S.



(उपखण्ड अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. रूपयों पर पलीडर की फीस		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमीशनर की फीस		6. कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

अलग-अलग दर्ज किया जाकर अलग-अलग काम किया जाये। प्रभावित हिस्सा
 विलियम सख्या के रहम दर्ज रहे। विभाजन प्रत्येक नक्शा अंश 13 की
 का भाग रहे। अंश 13 की पलंग हेतु तहसीलदार बीडसर के अलग
 से लिखा जावे। पञ्चवार वचन प्रकटा रूपका अपना बहा करे। यह
 निर्णय राज अंश ~~23-5-18~~ को सेट कोष कोट

में ~~के~~ कुनाश अण

Mamta
 4/2

उपखण्ड अधिकारी
 बीडसर (दूर)

